5 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 17/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) 2012/00014

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

लिखमाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन कानोलाई हाल चक 1 एसएम शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी – अनुपस्थित

::आदेश:: दिनांक 20.09.2018

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार छत्तरगढ़ ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 SM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 88/63 किलां नं. 3 ता 8, 13 ता 15 में कुल 9 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि खसरा गिरादवरी संवत 2035–2038 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर के निर्णय 19.09.1984 के द्वारा श्री लिखमाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन कानोलाई हाल चक 1 SM (शेरपुरा) तहसील छत्तरगढ़ को स्मालपेच आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने पर इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की गुणावगुण पर इकतरफा बहस सुनी गई।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 1 SM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 88/63 किलां नं. 3 ता 8, 13 ता 15 में कुल 9 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.1984 के द्वारा श्री लिखमाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन कानोलाई हाल चक 1 एस एम (शेरपुरा) तहसील छत्तरगढ़ को आवंटित कर दी। जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त वर्णित भूमि नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 30.12.2010 को खातेदार दर्ज हुई है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में भी इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया । मुताबिक नकल गिरदावरी संवत 2035–2038 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। प्रश्नगत भूमि का राजस्थान उपनिवेशन(राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13A में विशेष आवंटन तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया जिसका रिकार्ड में अंकन होकर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066–67 में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रही। तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 30.12.2010 को खातेदारी दर्ज हुई जबकि डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.2004 द्वारा ऐसे आवंटनों को अवैध माना है। ऐसी स्थिति में आवंटन व खातेदारी अधिकारी किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसलिए मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 1 SM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 88/63 किलां नं. 3 ता 8, 13 ता 15 में कुल 9 बीघा कमाण्ड की बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.1984 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के आदेश प्रदान किये जावे।

7. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.11.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

8. आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर